

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन परियोजना खण्ड, बून्दी

क्रमांक :- अ.अ./ज.सं.परि./तक./2020/

दिनांक :-

2020/26/10/20

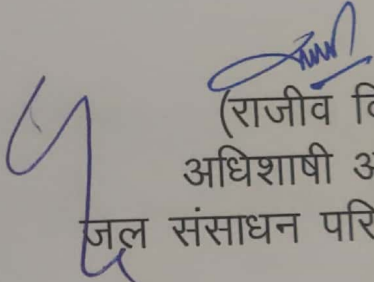
श्रीमान् उप वन संरक्षक,
बून्दी (राज0)

विषय :- ऑन लाइन क्यूरिं दिनांक 15.10.20 के बिन्दु संख्या 3
की पालना बाबत्।

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक 6665 दिनांक 20.10.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि
चाही गई ऑन लाइन क्यूरिं दिनांक 15.10.20 के बिन्दु संख्या 3 की पालना में
अंडरटैकिंग अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

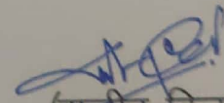

(राजीव विजय)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन परि0 खण्ड, बून्दी

अंडरटेकिंग

गरडदा नहर की प्रस्तावित परियोजना में वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु आवश्यक होगा कि -

1. जहां नहर का भाग भू कंटिंग (खुदाई) में आ रहा है अथवा प्रभावी गहराई वन्यजीवों के लिए खतरा प्रतीत हो क्षेत्र में नहर के दोनों ओर फेंसिंग की जावे।
2. वन्य जीवों के पानी पीने की व्यवस्था हेतु प्रत्येक लगभग एक किलोमीटर चेनेज अन्तराल पर वाटरहॉल का निर्माण किया जावे, जिसके लिए नहर का पानी इस्तेमाल किया जा सकें।
3. उप वन संरक्षक वन्यजीव राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभ्यारण्य सवाई माधोपुर द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक 2494 दिनांक 05.10.2020 से जारी भूमि उपर्युक्तता प्रमाण पत्र मे ज्यूलिफ्लोरा उन्मूलन हेतु अतिरिक्त राशि 15 लाख रुपये की आवश्यकता होगी।

उपर्युक्त अतिरिक्त शर्तों पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा पालना हेतु सहमति दी जाती है।



(राजीव विजय)

अधिशाषी अभियन्ता

जल संसाधन परि० खण्ड, बून्दी